अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्या 66/2012

मौजीलाल यादव एवं अन्य —— अपीलार्थीगण

वनाम

गणपत लाल दास वगैरह —— रेस्पोण्डेन्ट्स/विपक्षीगण

–::आदेश::–

प्रस्तुत अपील वाद मौजीलाल यादव द्वारा भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, त्रिवेणीगंज, जिलाः सुपौल द्वारा पारित आदेश दिनांकः 27.12.2011 ई0 अंदर दखल दिहानी वाद संख्याः 01/2011–12 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट्स के इस न्यायालय में दायर किया गया है।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया।

प्रस्तुत भूमि विवाद अपील वाद में मौजाः पिलुआहा खाताः 35 (पु०), खेसराः 1583 (पु०), 2502 (नया), रकवाः 0.46 डी० अर्थात 0.10.11 (दस कट्ठा ग्यारह धुर) भूमि विवादी प्रश्नगत् भूमि है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता बहस के क्रम में यह कथन करते हैं कि निम्न न्यायालय में दायर वाद में सही व्यक्ति को प्रतिवादी नहीं बनाया गया रेस्पोण्डेन्ट/वादी द्वारा निम्न न्यायालय में वाद निराधार एवं फर्जी कागजात पर आधारित लाया गया था। आगे यह भी कथन करते हैं कि प्रश्नगत खाता खेसरा की 93 डी० भूमि वर्षः 1942 ई० में भूतपूर्व जमींदार ने जिया मंडल को बंदोबस्त कर दिया। जिसके आधार पर जमाबंदी संख्याः 200 कायम हुआ वो जिया मंडल के वारिसानों के बीच बँटवारा वाद संख्याः 1267 वर्षः 1977–78 में बँटवारा हुआ, जिसमें कुल रकवाः 16 एकड़ 35 डी० सन्निहित है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि मौजी लाल यादव के पिता–अनूप यादव हैं। अपीलार्थी का यह भी कथन है कि प्रश्नगत भूमि कभी नीलाम ही नहीं हुआ है, तो बाबू किशोरी मोहन राय

चौधरी, उसके बाद अहिल्या देवी उसके बाद रेस्पोण्डेन्ट/वादी को प्राप्त होना जाल–फरेब को दर्शाना बतलाते हैं। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि रिर्टन के आधार पर कायम जमाबंदी संख्याः 200 बनाम जिया मंडल, तथा बँटवारा के आधार पर कायम जमाबंदी संख्याः 750 बनाम अनुप यादव को एक लम्बे अंतराल के बाद चुनौती नहीं दी जा सकती है। प्रश्नगत भूमि पर रेस्पोण्डेन्ट/वादी कभी भी दखलकार नहीं रहे हैं वो उनके द्वारा प्रस्तुत कागजात जाल–फरेब को दर्शाता है। ग्राम कचहरी, सरपंच पिलुआहा का आदेश एवं अंचल अमीन का प्रतिवेदन गलत है।

अपीलार्थी अपने दावे के समर्थन में मालगुजारी रसीद ज0 नं0 750 बनाम अनुप यादव, जमींदारी रसीद बनाम जिया मंडल, परमानगी बंदोबस्ती, मालगुजारी रसीद ज0 नं0 200 एवं 488 बनाम जिया मंडल, भेरिटिंग रिटर्न, मुंसिफ न्यायालय से पारित आदेश वाद संख्या 130/67, अभिलेखाकार का सूचना एवं हाल सर्वे की छाया प्रति दाखिल किए है।।

रेस्पाण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में कथन करते हैं कि प्रश्नगत भूमि सहित खेसरा सं०ः 2504 से 77 डी० के साथ कुल–1 एकड़ 23 डी० यानि एक बीघा आठ कट्ठा चार धुर जमीन निबंधित केवाला संख्याः 858 दिनांकः 21.01.1985 के माध्यम से श्रीमति अहिल्या देवी पति श्री सूर्य नारायण लाल दास साकिन टेकुना थाना – प्रतापगंज, जिला सहरसा वर्तमान जिला– सुपौल से उचित जरसम्मन अदाय कर क्रय किया वो खरीदगी तिथि से उक्त केवाला खरीदगी रजिस्ट्री मोताबिक एराजी पर हकदार वो दखलकार भी हो गए। दखल कब्जा के आधार पर विधवत नामांतरण होकर जमाबंदी संख्याः 177/236 कायम हुआ। वर्षः 2007 में प्रतिवादीगणों ने खेसरा संख्याः 2502 में सन्निहित रकवाः 46 डी० पर से अनाधिकृत तौर से बेदखल कर दिया है।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि अपनरी केवाला खरीदगी एराजी में से पुराना खाता 35, पुराना खेसरा 1583 नया खेसरा 2502 रकबा 0.46 डी0 यानि 10 कट्ठा 11 धुर जिसका चौहद्दी उत्तर – लेख्यधारी, दक्षिण– नहर, पुरब– बलदेव यादव, पश्चिम छुतहरू साह है। जिससे अपीलार्थी/विपक्षीगण ने जरदस्ती हरवे हथियार के साथ जबरन प्रत्यर्थी/ रेस्पोण्डेन्ट को बेदखल कर दिया है वो यही विवादी जमीन है। आगे यह भी कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट/वादी को विवादी जमीन लेख्यकारी अहिल्या देवी पति सूर्य नारायण लाल दास से केवाला रजिस्ट्री दिनांक 21.01.85 के द्वारा खरीदगी है वो विक्रेता अहिल्या देवी उक्त खाता, खेसरा की एराजी बाबू किशोरी मोहन राय चौधरी पे0 स्व0 बाबू जगमोहन राय चौधरी साकिन पिलवाहा थाना– त्रिवेणीगंज, जिला– सहरसा, वर्तमान जिला– सुपौल से केवाला संख्या 2832 रजिस्ट्री दिनांक 09.07.55 ई0 को खरीद की थी वो अपने नाम जमाबंदी कायम करवायी थी वो यही खरीदगी जमीन अहिल्या देवी ने रेस्पोण्डेन्ट/वादी को केवाला खरीदगी रजिस्ट्री दिनांक 21.01.85 के द्वारा बिक्री की है। वो रेस्पोण्डेन्ट/वादी उक्त खरीदगी एराजी का अंचल अमीन से उपरोक्त विवादी जमीन सहित कुल खरीदगी एराजी केवाला के निश्वत पैमाईश कराये जिसका नापी रिपोर्ट अंचल अमीन द्वारा अंचल नापी केश संख्या 10/07–08 के माध्यम से अंचल त्रिवेणीगंज में अंचल अमीन द्वारा दाखिल किया गया वो अंचल रिपोर्ट में भी अंचल अमीन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि खाता पुराना 35 पूराना खेसरा 1583 से बने नया खेसरा 2504 की रकबा 0.77 डी0 रेस्पोण्डेन्ट/वादी के दख्ल कब्जे में है एवं पुराना खेसरा नं0 1583 से बने नए खेसरा नं0 2502 की रकबा 0.46 डी0 यानि 10 कट्ठा 11 धुर से अपीलार्थी/विपक्षीगण जबरन बेदखल कर दिया है जिसका कोई कागजात/सबूत अपीलार्थी/विपक्षीगण अंचल अमीन को भी

नहीं दिखाये, जो अंचल अमीन ने अपने प्रतिवेदन पैमाईश रिपोर्ट में भी इसे दर्ज किया है, वो इसी विवादी जमीन को लकर ग्राम कचहरी पिलवाहा द्वारा ग्राम कचहरी केश नं0 12/07 रेस्पोण्डेन्ट/वादी ने अपीलार्थी/विपक्षीगण के खिलाफ दर्ज किया थ, जिसे वाद में अपीलार्थी /विपक्षीगण ने कोई कागजात सबूत नहीं दिया वो अन्त में उक्त कचहरी न्यायालय विवादी जमीन पर अवैध दखल करने से रेस्पोण्डेन्ट/वादी को अपनी खरीदगी केवाला रजिस्ट्री मोताबिक एराजियत पर विवादी जमीन के निश्वत रकबा 10 कट्ठा 11 धुर दखल दिलाने हेतु सक्षम न्यायालय में जाने हेतु अपना आदेश दिनांक 22.04.08 को पारित किया था। उक्त आदेश के बाद रेस्पोण्डेन्ट/वादी ने अपीलार्थी/ विपक्षी के खिलाफ भूमि सुधार पर समाहर्त्ता सह भूमि विवादी निराकरण प्राधिकार, त्रिवेणीगंज, जिला सुपौल में वाद संख्या 1/11–12 दाखिल किया था, जिसमें रेस्पोण्डेन्ट/वादी के अरजी दावी के कागजात सबूतों के आधार पर विवादी जमीन के निश्वत रेस्पोण्डेन्ट/वादीगण के पक्ष में दिनांक 27.12.11 को आदेश पारित किया वो उक्त निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश बिल्कुल सही वो जायज दुरूस्त वो विधिसम्मत है।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि भूतपूर्व जमींदार द्वारा बंदोबस्ती से रकबा 0.93 डी0 के निश्वत प्राप्त है, वो मालिक जमीन्दार द्वारा दाखिल खारीज हुआ वो जमीन्दारी उन्मुलन के बाद भेस्टिंग रिटर्न जिया मंडल के नाम से है वो जमाबंदी नं0 200 जिया मंडल के नाम से कायम है वो चल रहा है वो हाल सर्वे में संयुक्त खाता जिया मंडल 1 हिस्सा वो कुसुम लाल मंडल वो किरत मंडल वो सूरज मंडल वो महाबीर मंडल एक हिस्सा है वो बंटवारा होकर जिया मंडल केश नं0 1267/77–78 के द्वारा विवादी जमीन पर खास हकदार वो दखलकार हुए वो जिया मंडल के बड़े लड़के अनुप लाल यादव के हिस्से में खास आया वो जमाबंदी नं0 750 कायम हुआ वो उनके देहान्त के बाद विवादी जमीन पर अपीलार्थीगण वारिसान हकदार वो दखलकार हुए वो रेस्पोण्डेन्ट/वादी के पक्ष में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश गलत है, वो यही केश अपीलार्थी का है वो अपीलार्थीगण/ विपक्षीगण निम्न न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जबाब दिनांक 15.09.11 को दाखिल किया था, लेकिन कोई कागजात वो सबूत दाखिल नहीं किया था।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट/ वादी ने निम्न न्यायालय में केवाला नाम से अहिल्या देवी पति सूर्य नारायण लाल दास बहक गणपत लाल दास वगैरह खरीदगी रजिस्ट्री दिनांक 21.01.85 का मूल केवाला वो बिहार सरकार द्वारा दाखिल खारिज कराकर मालगुजारी रसीद न0 नं0 177/236 वर्श 2010–11 तक वो केवाला रजिस्ट्री दिनांक 09.07.55 नाम से बाबू किशोरी मोहन राय चौधरी बहक अहिल्या देवी जौजे बाबू सूर्य नारायण लाल दास का वजाप्ता नकल वो अंचल अमीन फीस का रसीद दिनांक 25.06.07 वो ग्राम कचहरी न्यायालय केस नं0 12/07 में पारित आदेश दिनांक 22.04.08 का वजाप्ता नकल वो पुराना सर्वे खतियान वो नया सर्वे खतियान का वजाप्ता नकल वो नक्शा पुराना वो नया का सभी कागजात का फोटो कॉपी दाखिल किया था वो विद्वान निम्न न्यायालय के पदाधिकारी यानि भूमि सुधार उप समाहर्ता सह भूमि विवाद प्राधिकार,, त्रिवेणीगंज ने भी विवादी जमीन का स्वयं स्थल निरीक्षण भी किया था।

रेस्पोण्डेन्ट अपने दावे के समर्थन में वजाप्ता नकल तसदीकी बदर थाना –त्रिवेणीगंज, जिला –सहरसा हाल जिला –सुपौल के अन्तर्गत आदेश खेसरा नया 2502 खेसरा पुराना 1583 के निस्वत रकबा 46 डी0 आदेश की छाया प्रति, सूचना प्राप्त करने का आवेदन प्रपत्र तरफ से प्रत्यर्थी निस्वत

जमाबंदी 200 वो 204 मौजा पिलवाहा अंचल त्रिवेणीगंज की छाया प्रति, सूचना निर्गत निबंधित डाक दिनांक 08.11.11 नाम से प्रत्यर्थी धनपत लाल दास द्वारा अंचलाधिकारी त्रिवेणीगंज रजिस्ट्री लिफाफा वो सूचना की छाया प्रति, सूचना प्राप्त करने का आवेदन पत्र मौजा पिलवाहा अंचल त्रिवेणीगंज द्वारा प्रत्यर्थी निस्वत जमाबंदी 177/236 सूचना निर्गत दिनांक 23.07.12 की छाया प्रति दाखिल किए हैं।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात तथा अपीलार्थी के तरफ से दाखिल कागजात की छाया प्रति के अवलोकनोपरांत पाया कि अपीलार्थी अपना दावा सावित करने में सफल रहें हैं। अस्तु निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी का अपील स्वीकृत किया जाता है। इसी के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा